मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
Tel. NO : (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail : ceomprrda@gmail.com

क्रमांक : 9574 भोपाल, दिनांक :01·4·2017

प्रति,

1. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त),**
   जिला पंचायत –.....
   मध्यप्रदेश
2. **महाप्रबंधक (समस्त)**
   म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण.
   परियोजना क्रियान्वयन इकाई–1
   जिला– ..... मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के कार्यों हेतु मिशन के नोडल अधिकारियों के लिये वाहन व्यवस्था।

संदर्भः– इस प्राधिकरण का पत्र क्रं. 25875/ग्रा.आ.मि./2016 दिनांक 28/12/2016।

–0 0–

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के द्वारा जिला पंचायतों में पदस्थ इस मिशन के नोडल अधिकारियों को, जिले में ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण, मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं इस मिशन के एन.पी.ए. प्रकरणों के नियमितीकरण के लिए बैंकों के साथ समन्वय एवं आवश्यक सहयोग करने हेतु दिनांक 31/03/2017 तक एक चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. इस मिशन के वर्ष 2017–18 के लक्ष्यों की पूर्ति, एन.पी.ए. प्रकरणों के नियमितीकरण में, बैंकों को सहयोग करने के लिए इस मिशन के नोडल अधिकारियों को उक्त वाहन सुविधा अब दिनांक 01/04/2017 से दिनांक 31/03/2018 तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति निम्नलिखित निर्देशों के साथ प्रदान की जाती है :–

3. वाहनों के किराये पर संयोजन, मासिक किराये के भुगतान एवं व्यय के लेखाकरण में सुगमता के दृष्टिगत उक्त वाहन इस प्राधिकरण की जिलों में स्थित इकाई क्रमांक–1 के महाप्रबंधकों द्वारा जिला पंचायतों के मांग करने पर नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराया जावेगा।

निरंतर–2.....

4. नोडल अधिकारी प्रत्येक माह की 3 तारीख को उक्त वाहन की **पिछले माह** की लॉग बुक की सत्यापित प्रतिलिपि एवं सत्यापित डीजल देयकों को, जिले में महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई–1 को प्रेषित करेंगे। **नोडल अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी द्वारा सत्यापित लॉग बुक की प्रतिलिपि एवं देयक मान्य नहीं होंगे।**

5. जिले में पूर्ण आवासों का भौतिक सत्यापन कर संकलित जानकारी जिला पंचायतों द्वारा इस प्राधिकरण को प्रेषित की जावे।

6. जिला पंचायतों द्वारा जिले में हितग्राहियों की EMIs का नियमित भुगतान, प्रतिमाह सुनिश्चित किया जावे जिससे NPA खातों की स्थिति नगण्य रहे।

7. विगत माहों में यह देखने में आया है कि अनेक जिलों में जिला पंचायतों द्वारा इस मिशन के एन.पी.ए. प्रकरणों के नियमितीकरण हेतु कोई **प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।** बैंकों के इस मिशन के एन.पी.ए. प्रकरणों की संख्या बढ़ने के कारण, उन्हें इस मिशन के **नवीन आवासीय ऋण प्रकरण स्वीकृत करने में कठिनाई होती है।**

8. अतः निर्देशित किया जाता है कि इस मिशन में, एन.पी.ए. प्रकरणों के नियमतीकरण हेतु परिणाममूलक कार्यवाही करें। एन.पी.ए. प्रकरणों के नियमितीकरण की जानकारी निर्धारित प्रारूप RH-6 (संशोधित) में प्रत्येक सप्ताह इस प्राधिकरण को प्रेषित की जावे। जिलों द्वारा एन.पी.ए. प्रकरणों में की गई कार्यवाही की प्राधिकरण स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की जावेगी। **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वयं यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तर पर बैंकों का एन.पी.ए. 2% से अधिक न हो।** जिन जिलों में एन.पी.ए. प्रकरणों के नियमितीकरण की कार्यवाही संतोषजनक नहीं होगी, उन जिलों को आगामी माह से **उक्त वाहन सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।**

9. किराये उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के संबंध में म.प्र. शासन, वित्त विभाग के निर्देश क्र0 एफ/11–16/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 06/10/2012 पूर्णतः लागू रहेंगे।

(नीतेश व्यास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

पृ. क्र. 9575 /ग्रा.आ.मि/2017 भोपाल, दिनांक 01/4/2017

प्रतिलिपि :

(1) मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल